न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 59/2020

निर्णय दिनांक– 28.12.2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. आसीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति छींपा निवासी गजसिंहपुरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम गजसिंहपुरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 1068 जिसके खसरा नं. 359 रकबा 3.0351 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/5 वां हिस्सा दर्ज व खाता संख्या 376 जिसके खसरा नं. 683 रकबा 0.9146 हैक्टेयर और खसरा नं. 685 रकबा 10.8456 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/15 वां हिस्सा दर्ज है भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है।

2. यह है कि प्रार्थी के पिता चांद मोहम्मद की मृत्यु के उपरान्त फौतेदगी नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम टंकण में त्रुटिवश आसीन मोहम्मद की जगह यासीन मोहम्मद राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स एवं मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम आसीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति छींपा निवासी गजसिंहपुरा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गजसिंहपुरा पंचायत समिति भोपालगढ़ जिला जोधपुर के प्रमाणपत्र में वर्णित है कि प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेजों में आसीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति रंगरेज (छीपा) दर्ज है जबकि इनकी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में यासीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति रंगरेज (छीपा) दर्ज हो गया है। यासीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति रंगरेज (छीपा) का सही नाम आसीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति रंगरेज (छीपा) है। इनके अलावा इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम पंचायत गजसिंहपुरा में नहीं है। इसलिये न्यायहित में वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड दुरुस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम आसीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद इन्द्राज करवाने का निवेदन किया।

28.12.2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

Scanned with CamScanner

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भोपालगढ को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि हल्का पटवारी गजसिंहपुरा की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी का नाम यासीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद के स्थान पर आसीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद किया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ को कोई आपति नही है।

हमने तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाब प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी तत्पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में वर्णित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में यासीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद के स्थान पर आसीन मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2020

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

Scanned with CamScanner